HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc Suspension Of Sentence Application
(Appeal) No. 96/2026

In

S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 134/2026

1. Premchand Urf Pemaram S/o Late Shri Rampal, R/o Khatiyo Ki Dhani Rahaman Kheda, Police Thana Beawar Sadar, District Beawar.
2. Kapil S/o Shri Premchand, R/o Khatiyo Ki Dhani Rahaman Kheda, Police Thana Beawar Sadar, District Beawar.

----Appellants

Versus

State Of Rajasthan, Through P.P.

----Respondent

For Appellant(s)	:	Mr. Sumit Khandelwal with Mr. Jitendra Sharma
For Respondent(s)	:	Mr. Jaiprakash Tiwari, P.P.

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

25/02/2026

अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण **प्रेमचंद उर्फ पेमाराम एवं कपिल** की ओर से धारा 430 बी0एन0एस0एस0 के अंतर्गत, विचारण न्यायालय–**जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जिला ब्यावर (राज0)** द्वारा सेशन प्रकरण संख्या–**32/2025 राजस्थान राज्य** बनाम **प्रेमचन्द उर्फ पेमाराम एवं अन्य** में पारित निर्णय व दंडादेश दिनांक **03.01.2026** के विरूद्ध यह सजा स्थगन/जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा अभियुक्तगण को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जाकर अर्थदण्ड सहित अधिकतम चार वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण–अभियुक्तगण का तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का समग्र विवेचन व विश्लेषण किए बिना आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश पारित किया गया है, अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को प्रकरण में चार वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया है तथा वे प्रकरण में लम्बी अवधि से न्यायिक अभिरक्षा में हैं तथा उनकी अभिरक्षा अवधि 11 माह की हो चुकी है, प्रस्तुत अपील में अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के दोषमुक्त होने बाबत् पर्याप्त आधार एवं सुदृढ साक्ष्य विद्यमान हैं, प्रस्तुत अपील के निस्तारण में समय लगेगा, अतः प्रस्तुत सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक सजा स्थगन प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने की प्रार्थना की।

हमने उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अतः प्रकरण की तथ्यात्मक स्थिति, प्रकरण की समस्त परिस्थितियों, अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की अभिरक्षा अवधि एवं अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए इस प्रकरण के गुणावगुण पर टिप्पणी किए बिना यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः अपीलार्थीगण–अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक अपीलार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/– रूपए **(अक्षरे पचास हजार रूपये)** का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं 25,000–25000/–रूपए **(अक्षरे पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये)** की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वे इस न्यायालय में दिनांक **25.03.2026** को एवं तत्पश्चात् जब भी उन्हें आदेशित किया जावे, उपस्थित होते रहेंगे, तो अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण **1. प्रेमचन्द उर्फ पेमाराम पुत्र स्व0 श्री रामपाल एवं 2. कपिल पुत्र श्री प्रेमचन्द** को अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

विचारण न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय के तहत दिए गए दण्डादेश (sentence) का क्रियान्वयन इस अपील के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जाता है।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

MAHESH ADWANI /62